

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 2219  
प्रति,

खंडवा, दिनांक 12-6-23

Project Director,  
PIU-Khandwa Plot no. 66-67  
Siddhi Vinayak colony Near dadaji college  
indore road khandwa

विषय:- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 09.06.2023 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2105 दिनांक 31.05.2023 एवं 1979 दिनांक 15.05.2023 एवं पत्र क्रमांक 2134 दिनांक 01.06.2023

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में परिक्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया है कि आवेदक संस्था द्वारा आवश्यक अभिलेख/जानकारी परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रकरण से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सकें।

  
वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खंडवा

खंडवा, दिनांक 12-6-23

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 2220  
प्रतिलिपि : -

- 1- उपवनमण्डलाधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण के संबंध में स्पष्ट टीप के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- 2- वनपरिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित प्रकरण के संबंध में प्रमाणिक अभिलेख के साथ प्रतिवेदन उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।

  
वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा



# कायालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2023/2040

खण्डवा, दिनांक 14/06/23

प्रति,

Project Director,  
Plot no. 66-67 Siddhi Vinayak colony  
Near dadaji college indore road khandwa

- विषय:- Four lanining of Indore Edlabad road section from Design Chainage Km 81+000 to Km 143+000, Length 58.00 Kms Under Bharatmala Pariyojana in the State of Madhya Pradesh
- संदर्भ:- Online Proposal No. (FP/MP/ROAD/433187/2023) date 13.06.2023

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि Four lanining of Indore Edlabad road section from Design Chainage Km 81+000 to Km 143+000, Length 58.00 Kms Under Bharatmala Pariyojana in the State of Madhya Pradesh रकबा 0.477 हेक्टेयर के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. प्रस्तावित योजना में प्रभावित कक्ष क्रमांक यू-663 (खसरा नंबर 1134) वनभूमि 0.477 हेक्टेयर का मौके पर स्पष्ट सीमांकन किया जावे।
2. ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/152561/2022 में 4.138 हे. वनभूमि में वनमण्डल खण्डवा की वनभूमि 0.938 हेक्टेयर प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। परिवेश पोर्टल 2.0 पर पृथक से 0.477 हेक्टेयर वनभूमि का प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया है तदानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्तावित योजना 0.477 हे. वनभूमि का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी से संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
4. प्रस्तावित योजना में प्रभावित वन एवं राजस्व वनभूमि का मौके पर स्पष्ट सीमांकन करावे, ताकि वृक्षों की गणना गोलाईवार, प्रजाति एवं कक्षवार की जा सकें।
5. प्रस्तावित योजना में गैर वनभूमि ग्राम बोरगांव बुजुर्ग खसरा नंबर 121/1, 121/2, 122/1, 122/2 रकबा 0.461 हेक्टेयर दर्शायी गई है। तदसंबंध में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करे।
6. प्रस्तावित परियोजना में गैर वनभूमि रकबा 0.461 हे. को ऑनलाईन प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि अंकित किया गया है लेकिन उसे वनभूमि में शामिल नहीं किया गया है स्थिति स्पष्ट करें। राजस्व वनभूमि के संबंध में कलेक्टर जिला खण्डवा से अनापत्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
7. प्रकरण में पंजीयन राशि 5000/- एवं प्रोसेसिंग राशि 30000/- इस प्रकार कुल राशि 35000/- रूपयें वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से अथवा म.प्र कोषालय की वेबसाईट [www.mptreasury.org](http://www.mptreasury.org) के माध्यम से जमा कराकर अवगत करावें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 14/06/23

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2023/2041

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- उपवनमण्डलाधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग- 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
- 4- परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जाकर भाग -2 में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र, 24 बिंदुओं की चेकलिस्ट के साथ प्रस्तावित क्षेत्र में दर्शित होने वाले वन्य प्राणियों के नाम, प्रस्तावित स्थल राजस्व वनभूमि से वनसीमा की दूरी के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अनुक्रमांक 3 एवं 4)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा